सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.17(ई)पं.राज/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.दिवस/2014/2838 **जयपुर, दिनांकः**– 30.5.14

–::– परिपत्र –::–

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की समस्त् पंचायत समितियों में दिनांक 6 जून 2014 से " **पंचायत दिवस** " कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। इस हेतु विभाग द्वारा क्रमांक 2753 दिनांक 13.05.14 से विस्तृत आदेश जारी किये जा चुके है। इसी क्रम में निम्नलिखित निर्देश और जारी किये जाते है:–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में "**पंचायत दिवस**" से सम्बन्धित एक निरीक्षण रजिस्ट्र का संधारण किया जाये। सम्बन्धित विकास अधिकारी प्रत्येक "**पंचायत दिवस**" कार्यक्रम के समाप्ति पर रजिस्ट्र में अपना मूल्यांकन नोट अंकित करेंगे। इस नोट में "**पंचायत दिवस**" पर हुए मुख्य–मुख्य कार्य तथा अधूरे रहे कार्यों का पूरा विवरण अंकित करेंगे। यह नोट संबंधित ग्राम सेवक के लिए निर्देशों का कार्य करेगा। सम्बन्धित ग्राम सेवक का यह दायित्व होगा कि वे पंचायत दिवस पर विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण रजिस्ट्र में अंकित अपूर्ण कार्यों को आगामी एक सप्ताह में पूर्ण करायें। कार्यपूर्ण करवा कर विकास अधिकारी को पालना रिपोर्ट दिखाने व विकास अधिकारी से कार्यों के पूर्ण होने का अंकन करवाने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम सेवक का रहेगा। इस निरीक्षण रजिस्टर में जिला परिषद एवं राज्य स्तर से जाने वाले पर्यवेक्षणीय अधिकारी "**पंचायत दिवस**" कार्यक्रम का निरीक्षण कर अपना निरीक्षण नोट नियमित एवं अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे। उक्त नोट में न केवल चल रहे अभियान में निरीक्षणकर्ता द्वारा अंकित किया जायेगा वरन् कार्यक्रम में सुधारात्मक ढ़ग से सुझाव भी अंकित किये जायेगें। सम्बन्धित विकास अधिकारी/ग्राम सेवक द्वारा इन सुझावों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत के उक्त 5 वर्षों के विकास कार्यों एवं निजी लाभ योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। ग्राम पंचायत में परिसंपत्ति रजिस्ट्र संधारित है। इस अभियान में परिसंपत्ति रजिस्ट्र को आंदिनांक तक परिपूर्ण किया जाना है। यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम पंचायत में स्वीकृत एवं निर्मित समस्त् परिसंपत्तियां रजिस्ट्र में अंकित की जाये। इसी प्रकार निजी लाभ योजनाओं में लाभाविन्तों के रजिस्ट्र में आंदिनांक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी ग्राम पंचायत के रजिस्ट्र पूर्व में संधारित करने से रह गये है तो उसे संधारित एवं आंदिनाक तक पूर्ण कराये जाने का दायित्व विकास अधिकारी का रहेगा।